

राजस्थान सरकार  
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 11(3)त.शि./2002-पार्ट

जयपुर, दिनांक : 5 जून, 2008

निदेशक,  
तकनीकी शिक्षा,  
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,  
जोधपुर।

विषय :- Rules and Regulations for implementation and management of self finance courses in Govt. Poly. Colleges in Rajasthan

संदर्भ :- आपका पत्रांक: एफ 5(242)/प्राशिनि/ई-2/2008/5618 दिनांक 20.5.2008

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा प्रेषित संशोधित Rules and Regulations for implementation and management of self finance courses in Govt. Poly. Colleges in Rajasthan का अनुमोदन कर पुनः संदर्भ सत्यापित प्रतिलिपि प्रेषित की जा रही है, ताकि तदनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार



( आर.के. गुप्ता )  
विशेषाधिकारी, त.शि.

**RULES & REGULATIONS**  
**FOR**  
**IMPLEMENTATION & MANAGEMENT**  
**of**  
**SELF FINANCE COURSES**  
**IN**  
**GOVT. POLYTECHNIC COLLEGES**  
**OF RAJASTHAN**

05/06/18

---

**Directorate of Technical**  
**Education, Rajasthan**  
(W-6, Residency Road, Jodhpur – 342 032)